

प्रारूप - 5

परियोजना का नाम - एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं गुजर बस्ती पेयजल योजना

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण-पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न की जानी है, यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त हो, तो प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट किया जाए।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण शाखा, हस्ताक्षर
प्रयोक्ता (एजेन्सी)
पेयजल निगम

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय 11-मोहिनी रोड, देहरादून

सेना में, पत्रांक 202 300 देहरादून (TAC) / 19 दिनांक 2.3.17

निदेशक, जनजाति कल्याण,
शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला,
पो0ओ0- डालगवाला,
देहरादून।

विषय:- विभागीय टी0ए0सी0 उपरान्त जनपद देहरादून के विकासखण्ड कालसी की एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी पेयजल योजना के निर्माण संबंधित कार्यों के प्राक्कलन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री का पत्र संख्या 83/XXXV-4 / 2014 दिनांक 08.12.2014 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 156/XXVII(1) / 2015 दिनांक 24.02.2015 में दिये गये निर्देशों के क्रम में रु0 5.00 करोड़ से कम लागत की जनपद देहरादून के विकासखण्ड कालसी की एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी पेयजल योजना के निर्माण से संबंधित कार्यों का प्राक्कलन डिपोजिट कार्यक्रम के अन्तर्गत तकनीकी परीक्षण उपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गये। अतः औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

(धनराशि रु0 लाख में)

क0 सं0	योजना का नाम	आंगणन की धनराशि	औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि			
			निर्माण कार्य	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली -2008	सैंटेज	कुल लागत सैंटेज सहित
01	02	03	04	05	06	07
1	जनपद देहरादून विकासखण्ड कालसी की एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी पेयजल योजना के निर्माण से सम्बन्धित कार्यों का विस्तृत प्राक्कलन रु0 15.62 लाख।	15.62	13.60	0.12	1.71	15.43

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(प्रभात राज) 23/3/17
मुख्य अभियन्ता(मु0)

प0सं0 एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता(गढ़0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पुरोड़ी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम
नया चकराता (पुरोड़ी)

मुख्य अभियन्ता(मु0)

टी0ए0सी0 अध्यक्ष महोदय,

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0- 1696/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर की ढकरानी(वितरण प्रणाली) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण से संबंधित कार्यों हेतु प्रस्तुत विस्तृत प्राक्कलन /डी0पी0आर0 आंगणन परीक्षण हेतु विभागीय टी0ए0सी0 को संदर्भित किया गया है। परीक्षणोंपरान्त आंगणन की आंकलित धनराशि रू0 426.77 लाख के सापेक्ष औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 359.04 लाख की निम्न प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति हेतु विचार करना चाहेंगे। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्येनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें। निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी/अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

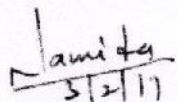
स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006),दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

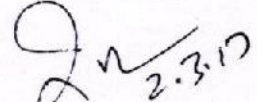
आंगणन गठित समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

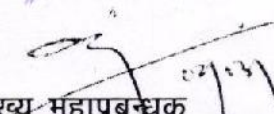
उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त कार्य के आंगणन पर अग्रेतर कार्यवाही करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि यदि शासनादेश संख्या-571/XXVII(1)/2010, दिनांक 19.10.2010 के दिशा-निर्देशों के क्रम में उक्त कार्य हेतु प्रथम चरण के कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है तो प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण हो चुकें हैं तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यदि प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि में बचत है, तो उसे द्वितीय चरण के आंगणन में समायोजित कर लिया जाये।

उपरोक्त आंगणन में प्राविधानित धनराशि रू0 0.12 लाख के कार्यों हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्र0वि0 को अवगत कराने पर विचार करना चाहें।


अधिशासी अभियन्ता (अप्रै0)
सदस्य सचिव


महाप्रबन्धक
(तकनीकी/ऑडिट)
सदस्य


महाप्रबन्धक
(भूजल/सर्वेक्षण)
सदस्य


मुख्य महाप्रबन्धक
(निर्माण विंग)